

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(42)वित्त/कर/2014

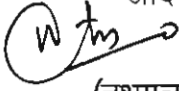
जयपुर, दिनांक: 21-08-2026

आदेश

वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2014-15 के लिये दिनांक 21.03.2015 को नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक में श्री जगन्नाथ जाट, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरुद्ध माननीय न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 276/10 में आदेश दिनांक 23.10.13 के द्वारा प्रकरण में आई.पी.सी की धारा 494 के तहत तत्समय माननीय न्यायालय में लंबित होने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति का प्रकरण लिफाफा बंद रखा गया था तथा दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में एक पद आरक्षित रखा गया।

श्री जगन्नाथ जाट की पदोन्नति की रिक्ति तिथि 01.04.2014 है एवं विभागीय आदेश दिनांक 11.06.2014 को इन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है।

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2026 द्वारा एफ.आई.आर. नं. 276/10 अपास्त होने तथा धारा 494 के अपराध के आरोप से उन्मोचित किये जाने तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या-12 लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण का पदोन्नति पर प्रभाव, के उप बिन्दु संख्या 12.11 के अनुसरण में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए बन्द लिफाफे में रखी गई अनुशंसा को खोला जाकर उन्हें वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर श्री जगन्नाथ जाट को वर्ष 2014-15 की रिक्ति दिनांक 01.04.2014 के विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

आदेश से,

(नथमल डिलेल)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)